

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

3017

रॉची

दिनांक - 30.6.12

अधि.सं.-01 / स्था.प्रो.-10-01/12 / दिनांक 28.06.2012 को सम्पन्न विभागीय स्थापना समिति की अनुशंसा के आलोक में जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची के निम्नलिखित सहायक अभियंता(यॉन्ट्रिक) को कार्यकारी व्यवस्था के तहत उनके अपने ही वेतनमान में उनके नाम के सामने स्तम्भ-04 में अकित पद/स्थान पर पदस्थापित करते हुए कार्यपालक अभियंता(यॉन्ट्रिक) (स्वतन्त्र चालू प्रभार) के रूप में कार्य करने हेतु अगले आदेश तक के लिए प्राधिकृत किया जाता है।

क्र.सं.	पदाधिकारी का नाम / आई.डी. / जन्म तिथि / गृह जिला	वर्तमान पदस्थापन	नव पदस्थापन स्थान	अभियुक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री देवकान्त चौधरी (यॉ.) एम 400 / 02.07.52 / मधुबनी	सहायक अभियंता यॉन्ट्रिक अवर प्रमंडल सं.-01, चांडिल	कार्यपालक अभियंता (चा.प्र.) (यॉ.) यॉन्ट्रिक प्रमंडल चांडिल (श्री अजीत कुमार सिंहा के अधीक्षण अभियंता (चा.प्र.) के रूप में पदस्थापन के उपरांत प्रभावी)	
2	श्री माधव सिंह (यॉ.) एम 401 / 01.10.53 / सारण	प्राक्कलन पदाधिकारी लघु सिंचाई प्रमंडल, रॉची	कार्यपालक अभियंता (चा.प्र.) (यॉ.) लघु सिंचाई रूपांकण प्रमंडल, रॉची	

2. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

3. कार्यपालक अभियंता स्तरीय पद का कार्य करने हेतु कोई अतिरिक्त वित्तीय लाभ देय नहीं होगा तथा इन्हें वही वेतन देय होगा जो पूर्व में देय है।

4. उपरोक्त पदाधिकारी जिन्हें कार्यकारी व्यवस्था के तहत कार्यपालक अभियंता (यॉन्ट्रिक) (चालू प्रभार) के रूप में पदस्थापित किया गया है, कालान्तर में इनसे वरीयता क्रम में वरीय पदाधिकारी की निगरानी स्वच्छता एवं चारित्री प्रोन्नति के अनुकूल पाये जाने पर उन्हें कार्यपालक अभियंता (स्वतन्त्र चालू प्रभार) के रूप में अधिसूचित कर दिया जायेगा एवं तदनुसार जो पदाधिकारी की नीय होंगे उन्हें सहायक अभियंता के रूप में अधिसूचित किया जायेगा।

5. भविष्य में उपरोक्त अभियंताओं की निगरानी स्वच्छता की स्थिति प्रतिकूल पाये जाने पर उन्हें सहायक अभियंता के पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया जायेगा।

6. कार्यपालक अभियंता के पद पर नियमित पदस्थापन होने के बाद यह कार्यकारी व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जायेगी।

7. यह व्यवस्था पूर्णतः अस्थायी है। यह किसी प्रकार की प्रोन्नति का आधार नहीं होगा और न ही पूर्वोदाहरण का मामला होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

Sheet 30.6.12
(दिनशा उपाध्याय)

सरकार के उप सचिव (प्र.)।

झापांक :-

3017

रॉची, दिनांक :-

30.6.12

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, रॉची को (सी.डी.सहित) राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि गजट प्रकाशन के पश्चात् इसकी 100 (सौ) प्रतियों कार्यालय अभिलेख हेतु विभाग को प्रेषित की जाय।

Sheet 30.6.12
(दिनशा उपाध्याय)

सरकार के उप सचिव (प्र.)

ज्ञापांक :-

3017

रॉची, दिनांक :-

30.6.12

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड रॉची / वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, झारखण्ड रॉची / माननीय उप मुख्यमंत्री (जल संसाधन विभाग), झारखण्ड के आप्त सचिव (दो प्रतियों में) / प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची / सचिव, मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग, झारखण्ड रॉची / सचिव, नगर विकास विभाग, झारखण्ड रॉची / सचिव, स्वास्थ्य विकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड रॉची / प्रधान सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड रॉची / सचिव, सार्थक वित्त एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग, झारखण्ड रॉची / प्रबन्ध निदेशक, झारखण्ड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लि., रॉची / प्रशासक, सुवर्णरेखा परियोजना, जमशेदपुर / विशेष सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची / अभियंता प्रमुख-01 एवं 02, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची / सभी संयुक्त सचिव / सभी उप सचिव / सभी अवर सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची / सभी मुख्य अभियंता / प्रबन्ध निदेशक, झालको, रॉची / सभी अधीक्षण अभियंता / सभी कार्यपालक अभियंता, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड / सभी संबंधित पदाधिकारी / सभी संबंधित कोषांग पदाधिकारी / वेब इन्फॉरमेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉची / प्रशास्त्रा पदाधिकारी, प्रशास्त्रा-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7ब., 7यो., एवं 8ए., 8बी. एवं 14 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. संबंधित सहायक अभियंता अपने पूर्व पदस्थापित स्थान का प्रभार 7 (सात) दिनों के अन्दर सौंपकर नव पदस्थापित स्थान का प्रभार ग्रहण कर प्रभार प्रतिवेदन मुख्यालय को देंगे। एक सप्ताह के अन्दर विरमित नहीं होने पर सहायक अभियंता खत: कार्य से विरमित समझे जायेंगे।

3. संबंधित कोषांग पदाधिकारी, क्रमांक-02 पर वर्णित पदाधिकारी का माह जुलाई 2012 का वेतन भुगतान नव पदस्थापित पद के विरुद्ध ही करेंगे।

Dheeraj
(दिनेश उपाध्याय)
सरकार के उप सचिव (प्र.)